जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो सुझाव है कि तीन यूनिवर्सिटीज़ बची हैं, जो उसमें शामिल नहीं हुई हैं, उसके बारे में आप जरूर proposal दीजिए। अगर हम उसमें कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे, लेकिन यह Mo∪ है। यह उनका आपसी agreement है, हम उसमें दखल नहीं देते। If you have some good suggestions, they are welcome.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question 197. Shri D. Raja.

SHRI VIVEK K. TANKHA: Please also see the. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: This Question is over. Please. ... (Interruptions)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Please give me the suggestion, we will definitely look into it. ...(*Interruptions*)...

Release of Indian fishermen arrested by Sri Lankan Navy

*197.SHRI D. RAJA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Sri Lankan Navy continues to arrest Indian fishermen and they have lately arrested seven fishermen from Mandapam and confiscated their two trawlers on charges of engaging in bottom trawling, if so, the details thereof; and
- (b) what is the number of fishermen and trawlers in their custody, at present, and what measures are being taken to get them released?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Instances of Indian fishermen apprehended for allegedly fishing in Sri Lankan waters have been reported from time to time. Seven Indian fishermen along with their two trawlers bearing registration numbers IND/TN/11/MM/346 and IND/TN/11/MM/227 from Ramanathapuram District in Tamil Nadu were apprehended by Sri Lankan Navy on 12 July, 2017 for allegedly poaching in Sri Lankan territorial waters. The fishermen along with the trawlers were handed over to Assistant Director Fisheries and Aquatic Resources, Jaffna by the Sri Lankan Navy on 13 July, 2017 and were subsequently produced before the Court and remanded to judicial custody till 27 July, 2017. The fishermen were

Oral Answers [3 August, 2017] to Questions 45

produced at the Court on 27 July, 2017 and the Court extended their judicial custody upto 10 August, 2017. Pursuant to continued diplomatic efforts, Government could secure the release of these 7 fishermen on 28 July, 2017.

(b) The number of Indian fishermen and fishing boats in the custody of Sri Lankan authorities as on 31 July, 2017 is 15 and 117 respectively.

Government regularly takes up the matter of early release and repatriation of Indian fishermen with the Government of Sri Lanka. Our High Commission in Colombo provides humanitarian and legal assistance to the apprehended fishermen. As a result of sustained diplomatic efforts, Government has so far secured the release of 251 fishermen and 42 fishing boats in Sri Lankan custody in 2017.

Government has taken up the fishermen issues at the highest level, including by the Prime Minister with the Sri Lankan President and Prime Minister during his visit to Sri Lanka in May, 2017. I had also raised the matter with the visiting Sri Lankan Prime Minister in April, 2017 and subsequently with the Sri Lankan Minister of Foreign Affairs during the latter's visit to India in June, 2017.

Following our 2+2 initiative in November, 2016 when the Foreign and Fisheries Ministers of the two countries met in New Delhi, a bilateral Joint Working Group (JWG) mechanism was institutionalized to address the fishermen issues. It was also agreed that Ministers for Fisheries of the two countries meet every six months to review the progress. So far two rounds of the JWG meeting have been held. The 2nd meeting of the JWG held on 7 April, 2017 in Colombo took stock of the implementation of the Confidence Building Measures (CBMs) agreed to by both sides pending a permanent solution to the fishermen issues.

SHRI D. RAJA: Mr. Chairman, Sir, I thank Sushmaji for giving a detailed reply. It is good that the Prime Minister is in the House when this question is being taken up.

Sir, the reply clearly admits that the Sri Lankan Navy continues to arrest the Indian fishermen and confiscate their boats. The reply says, "The number of Indian fishermen and fishing boats in the custody of Sri Lankan authorities as on 31st July, 2017 is 15 and 117 respectively".

In this regard, the Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Prime Minister. Several political parties are-agitating and raising this issue. What is the time-frame for the release of fishermen and return of boats? Boats are not small things. These are expensive boats. When they confiscate boats, the fishermen lose their livelihood. Fishermen are in their prisons. What is the time-frame, and, what are you going to do for the release of fishermen and for return of their boats?

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, उन्होंने कहा कि मेरा प्रारंभिक वाक्य यह है कि it continues to happen, यह सच है। यह तथ्य है, जो मैंने लिखा है। यह सिलसिला कई वर्षों से, कई सरकारें आईं और गईं, मगर लगातार चल रहा है। Sri Lankan Navy हमारे मछुआरों को पकड़ लेती है, उसके बाद सरकार गुजारिश करती है कि इनको छोड़ो। यह एक ad hoc सिलसिला है, कभी वे उन्हें जल्दी छोड़ते हैं, कभी देर में छोड़ते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के आने के बाद जल्दी छोड़ने के सिलसिले ने बल पकड़ा है। जिन ७ मछुआरों के बारे में इन्होंने कहा, आप स्वयं देख सकते हैं कि मैंने जवाब में लिखा है कि उन मछुआरों को जब कोर्ट में produce किया गया, तो 10 अगस्त तक का judicial custody का remand दिया गया, लेकिन हमारे श्रीलंका के हाई किमश्नर के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण 10 अगस्त तक judicial custody का remand होने के बावजूद हमने उनको 28 जुलाई को छुड़वा लिया। मैंने 2017 का एक आँकड़ा दिया है कि हम लोग 251 fishermen और 42 boats छुड़वा कर लाए हैं। अच्छा हुआ प्रधान मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं इस सदन से कहना चाहँगी कि प्रधान मंत्री जी के अपने स्तर पर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ और प्रधान मंत्री, रानील विक्रम सिंह के साथ जितनी भी meetings हुई हैं, एक-दो नहीं, जितनी भी meetings हुई हैं, चाहे वे दो बार कोलंबो गए हों, चाहे वे यहाँ आए हों, हर बार यह विषय उठाया जाता है और यह उसी का परिणाम है कि हम 42 boats भी छुड़ा कर लाए हैं और 251 मछुआरों को भी छुड़ा कर लाए हैं। जिनके बारे में खुद राजा जी ने पूछा था, उनको भी हम समय से पहले छुड़ा कर लाए हैं।

SHRI D. RAJA: Sir, the reply says, "The Indian fishermen apprehended for allegedly fishing in Sri Lankan waters..." This is a big question, Madam. Your reply also says, "Following our 2+2 initiative in November, 2016, when the Foreign and Fisheries Ministers of the two countries met in New Delhi, a bilateral Joint Working Group (JWG) mechanism was institutionalized to address the fishermen issues." My question is: when you use the words, 'allegedly fishing in Sri Lankan waters', how do you define the Sri Lankan waters? In 1974 and 1976, the Maritime Boundary Line Agreements were signed between India and Sri Lanka, thereby the Katchatheevu Island was given to Sri Lanka. The agreements admit that fishermen have access to Katchatheevu Island but fishermen are denied I their fishing rights. In such a situation, will the Joint Working Group reconsider the bilateral agreements and Katchatheevu agreement for renegotiation? It takes away the traditional fishing rights of our fishermen and they are 'allegedly' in Sri Lankan waters. What do you mean by 'Sri Lankan waters'? We gave our Katchatheevu Island to Sri Lanka when maritime boundary line was signed. That is why I am asking: Is the Government open — the Prime Minister is here; let him explain if necessary — to

take up this issue with the Sri Lankan Government for reopening and renegotiating the Katchatheevu agreement?

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापित जी, माननीय सांसद श्री डी. राजा जी अंग्रेज़ी अनुवाद के विशेषज्ञ हैं। जब 'allegedly' शब्द लिखा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 'Reportedly' 'allegedly', इन शब्दों का मतलब यही है, वरना हम सीधे लिखते - Sri Lankan territorial waters, लेकिन हमने लिखा है, 'allegedly in Sri Lankan waters.'

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी, आपने जो Katchatheevu के बारे में कहा है, Katchatheevu का मामला sub judice है, इसलिए JWG का mechanism उसको नहीं देख रहा है, लेकिन 2+2 initiative के बारे में मैं बताना चाहूंगी। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, यह उनकी पहल पर ही शुरू हुआ है। आपको याद है, मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, यह 'ad hoc' सिलसिला चल रहा था। जब प्रधान मंत्री जी के पास यह मामला पहुंचा, तो उन्होंने पूछा कि क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता है? इसके लिए बहुत बड़ी brain-storming की तीन मीटिंग्स हुईं, उनके स्तर पर भी और मेरे स्तर पर भी। अल्टीमेटली हम लोगों ने यह सोचा कि जब तक हम अपने मछुआरों को deep sea fishing की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक यह मामला खत्म नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हम अपने मछुआरों को deep sea fishing की तरफ ले जाएं। उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1,500 करोड़ रुपये कुछ नहीं है, चाहे जितने भी खर्च हो जाएं, लेकिन इन मछुआरों को deep sea fishing की तरफ ले जाओ।

इससे दो फायदे होंगे, एक फायदा तो यह होगा कि bottom trawling के तहत जो फिशिंग हो रही है, वह पर्यावरण को खराब करती है, क्योंकि वह समुद्र का पूरे का पूरा सरफेस छील कर ले जाती है। दूसरा, deep sea fishing न होने के कारण जो मछिलयां नीचे हैं, वे मरती जाती हैं और पर्यावरण को खराब करती हैं, साथ ही मछुआरों के हाथ भी नहीं लगती हैं। इसिलए इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट और तीन वर्ष की अविध तय हुई, साथ ही यह तय हुआ कि 500 करोड़ 1 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, जिसमें से 250 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 250 करोड़ तिमलनाडु गवर्नमेंट देगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष के 250 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ रुपये गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है, जो उनको दिए जा चुके हैं। यह जो deep sea fishing का माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, तीन वर्षों में जब यह समाप्त हो जाएगा, तो इसका स्थायी हल हो जाएगा।

अब हम जो बात कर रहे हैं, जो JWG है, उस पर कि यह 2+2 initiative क्या था? भारत का Foreign Minister के साथ Fisheries Minister और श्रीलंका के Foreign Minister के साथ Fisheries Minister पहली बार दिल्ली में बैठे और वहां यह तय किया कि हम deep sea fishing की तरफ जा रहे हैं। इसको मॉनिटर करने के लिए दोनों देशों के Fisheries Minister हर छः महीने पर मिलेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि नवम्बर में दोनों देशों की मीटिंग हुई, दो मिनिस्टर हमारे और दो मिनिस्टर उनके, उसके बाद जनवरी में ही First Ministerial Meeting हो गई, जब हमारे Fisheries Minister और उनके Fisheries Minister मिले, इसके साथ ही अगली मीटिंग 22 अगस्त की तय हो

गई है। यानी three Ministerial Meetings, three JWG meetings हो गई हैं, इतनी तीव्र गित से हम लोग चल रहे हैं। हम JWG और Ministerial meetings में अब केवल इतना चाह रहे हैं कि यह जो अविध है, इसके बीच में अंतरिम राहत हमें दे दी जाए, इसके लिए कोई ऐसा mechanism बन जाए कि जब हम बता रहे हैं कि हम deep sea fishing की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम इस बीच आप यह पकड़-धकड़ मत करो।

Katchatheevu का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वह sub judice है।

MR. CHAIRMAN: Now Shri La. Ganesan. ...(Interruptions)... One minute please. ...(Interruptions)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, the question is: Is the Government going to renegotiate Katchatheevu agreement? ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Let me go to the next question. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, at least. ... (Interruptions)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Our fishermen were going there. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: It is not your question. ...(Interruptions)... Please do sit down. ...(Interruptions)... Yes, Mr. Ganesan.

SHRI LA. GANESAN: Respected Chairman, Sir, through you, I want to get a clarification or confirmation from the hon. Minister about the information that I have got on the fishermen issue. The Sri Lankan Government, normally, do not prevent entry of any of the Indian fishermen when they go for fishing in their territory by traditional way by boat. They only prevent and arrest when they go with a trawler. That is why the Government also talked to the fishermen leader and asked to divert them to deep sea fishing. I want to get a clarification from the hon. Minister.

श्रीमती सुषमा स्वराजः माननीय सभापित महोदय, उनकी जानकारी बिल्कुल सही है। जब हम श्रीलंका के नेतृत्व से बार-बार बात करते हैं, तो वे यही कहते हैं कि traditional fishing के लिए आएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत है bottom trawler fishing से। इसलिए उनका कहना बिल्कुल सही है।

हमने एक mechanism और बना रखा है, जहां दोनों तरफ के मछुआरे मिलते हैं, तो मैंने स्वयं Fishermen Association को बुलाकर बात की है कि आप traditional fishing कीजिए, आप bottom trawler fishing क्यों करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि bottom trawler fishing हमारे देश में भी प्रतिबंधित है। Food and Agriculture Association Organization का order है, लेकिन हमारे निर्देशों

के बावजूद और FAO के प्रतिबंध के बावजूद 60 हजार bottom trawler भारत में चल रहे हैं और 5 हजार अकेले तिमलनाडु में चल रहे हैं, लेकिन अब तिमलनाडु सरकार ने एक कदम उठाया है कि 3 मार्च, 2017 से नए bottom trawler का registration बन्द कर दिया है। रामानाथपुरम में भी यह बन्द हो गया है, तंजावुर में भी बन्द हो गया है, थेलावुर में भी बन्द हो गया है और पाकवे में भी बन्द हो गया है। इन सब जगहों पर उन्होंने इसे बन्द कर दिया है। पुदुकोटि में भी बन्द हो गया है, तो अब नया रिजस्ट्रेशन bottom trawler fishing का नहीं हो रहा है। इससे आगे की समस्या तो हल हो जायेगी, लेकिन ये bottom trawler fishing यहां भी प्रतिबन्धित है।

महोदय, बार-बार श्री राजा या अन्य माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। मैं याद दिलाना चाहती हूं, public memory is very short, हम केवल लोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं। आपको मालूम है हमारे पांच मछुआरों के सिर पर फांसी का फंदा था, जब पुरानी सरकार थी। वहां यह सरकार नहीं थी, तब श्री महेन्द्र राजपक्षे जी की सरकार थी, उनसे भी बात करके, प्रधान मंत्री जी ने पांचों के सिर से फांसी का फंदा हटवाया था और उन पांचों को भारत वापस लेकर आए थे।

DR. V. MAITREYAN: Sir, I must gracefully acknowledge that after Shri Narendra Modiji took over as the Prime Minister of India. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question please. ... (Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: ...the Indian fishermen of Tamil Nadu origin, even though they are frequently taken into custody by the Lankan Government, are released at a faster pace. I must acknowledge. ...(Interruptions)...

But my question to the hon. Minister is this. Recently, the Lankan Government has enacted a draconian law whereby it provides for imprisonment upto two years and a fine of more than ₹ 50,000 for the fishermen who are taken into custody. Has the Government of India taken note of it? What steps are they taking in this regard?

श्रीमती सुषमा स्वराजः माननीय सभापति जी, जिस एक्ट के बारे में डा. वी. मैत्रेयन जी बात कर रहे हैं, वह एक्ट श्रीलंका में 6 जुलाई को पारित हुआ है और जो टीएनए के लीडर थे, श्री संपंथन, उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में वह सरकारी बिल के रूप में पारित हआ। यह सही है कि उसमें दो तरह की सजा का प्रावधान है और वह है, दो साल तक की सज़ा या कम से कम 50 हजार रुपए का जुर्माना, लेकिन यह किस के लिए है, केवल bottom trawler fishing प्रतिबंधित करने के लिए। मैं अभी पूर्व के उत्तर में बता चुकी हूं कि bottom trawler fishing हमारे यहां भी प्रतिबन्धित है। नए bottom trawling के रजिस्ट्रेशन में अभी तमिलनाडु ने यह कहा है कि हम कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। यह विषय Indian Fishermen से संबंधित न होकर, पर्यावरण से संबंधित है। Bottom trawler, sea surface को खत्म कर देता है, उसे छील के ले जाता है। इसलिए हमारे यहां भी उसे FAO ने बन्द कर रखा है, जिसे वे अभी एक्ट के रूप में लेकर आए हैं। मैं बता रही हूं कि हमारा

काम तो 3 मार्च को हुआ, उन्होंने तो 6 जुलाई को हमारे भी बाद किया है। इसलिए इस एक्ट को श्रीलंका सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से पारित किया है।

श्री किरनमय नन्दाः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह समस्या केवल तमिलनाडु की श्रीलंका के साथ ही नहीं है, बल्कि यह समस्या गुजरात के साथ पाकिस्तान की भी है और यह समस्या पश्चिम बंगाल के साथ बंगलादेश की भी है। जब natural calamity होती है, तो trawlers तो चले जाते हैं, कोई बंगलादेश कोई पाकिस्तान, कोई श्रीलंका या Indian fishermen के गांवों में चले जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: But the question is on Sri Lanka.

श्री किरनमय नन्दाः सर, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं कि समुद्र में तो कोई बैरियर नहीं है। इसलिए वहां जो trawler confiscated हो जाते हैं, fishermen को पकड़ लेते हैं, इसके बारे में भारत सरकार का क्या निर्णय है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापित जी, जैसा आपने कहा, क्योंिक यह श्रीलंका स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। पिछली बार सवाल उठा था - गुजरात से पािकस्तान जाने वालों के संबंध में। हमारे एक माननीय सदस्य गोहेल जी यहाँ हैं, जो उसमें बहुत ही ज्यादा रुचि लेते हैं। लेकिन मैं माननीय सांसद को यह कहना चाहूँगी कि आज शाम को विदेश नीित पर पूरी चर्चा हो। तो आपके ये जो विषय हैं - पश्चिम बंगाल के बारे में, पािकस्तान के बारे में तथा श्रीलंका से संबंधित और भी बातें, मैं उन सबका विस्तृत जवाब उस समय दे दूँगी। यह प्रश्न चूँिक श्रीलंका स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने अपना उत्तर वहाँ तक सीिमत रखा है।

Inclusion of Ayurveda in Civil Services Examination

*198. DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that numerous representations have been received to include Ayurveda as an optional subject for the Civil Services Examination; and
- (b) whether it is also a fact that the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) too has raised this issue with the Department of Personnel, the Ministry of Home Affairs and Union Public Service Commission (UPSC) and if so, what is Government's response to this demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DR. JITENDRA SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The issue is under examination by the Government.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Chairman, I need your protection.